

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
मुन्तकिली प्रकरण संख्या 122/2023 (RCMS : 2023/219)

1. सर्वजीत सिंह पुत्र प्रसन सिंह जाति जटसिख आयु लगभग 77 वर्ष निवासी चक 19 ओ, तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद मकान नम्बर 11-ए, मॉडल टाउन, फगवाडा, तहसील फगवाड़ा, जिला कपूरथला (पंजाब)

बनाम

1. सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. हरजिन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति मेहरा, निवासी चक 40 एच बी तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर

06.03.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र बिश्नोई उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 228/2023 एवं विविध प्रार्थना पत्र संख्या 71/2023 अनवानी सर्वजीत सिंह बनाम हरजिन्द्र सिंह अन्तर्गत धारा 233 राजस्थान करशतकारी अधिनियम 1955 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, करणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इस मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को खारिज किया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।


जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर



मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 228/2023 एवं विविध प्रार्थना पत्र संख्या 71/2023 अनवानी सर्वजीत सिंह बनाम हरजिन्द्र सिंह अन्तर्गत धारा 233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर